15.

पत्रांक–2/टी–03/2025–
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

कुमार रवि,
सचिव।

सेवा में,

निदेशक, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
सभी प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार
सभी अभिहित अधिकारी (खाद्य संरक्षा), बिहार
सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार
सभी नियंत्री पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक / /2026

विषयः– आगामी दीपावली एवं छठ महापर्व के दौरान निर्बाद्ध स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने तथा आपात स्थिति से निपटने हेतु संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था को अलर्ट मोड में रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आगामी दीपावली एवं छठ महापर्व के दौरान बाजारो, पूजा पंडालों तथा विभिन्न छठ घाटों एवं तालाबों पर श्रद्धालुओं और आम जनता की अत्यधिक भीड़ उमड़ना स्वाभाविक है। इस अवधि में पटाखों एवं आतिशबाजी से झुलसने, भीड़ के कारण भगदड़ की स्थिति बनने अथवा छठ घाटों पर अर्घ्य के दौरान डूबने जैसी अप्रिय व आकस्मिक दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। साथ ही त्योहार की अवधि में मिठाई, खोया आदि खाद्य पदार्थों में मिलावट की संभावना भी बढ़ जाती है।

2. अतः आगामी दीपावली से छठ महापर्व की अवधि यथा– **दिनांक–06.11.2026 से 17.11.2026** तक किसी भी आपात स्थिति से त्वरित रूप से निपटने और आम जनता को समय चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश दिया जाता है :–

- **<u>24x7 आपातकालीन चिकित्सा सेवा</u>** :– आगामी दीपावली से लेकर छठ पूजा के समापन तक राज्य के सभी प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों को उक्त अवधि में अलर्ट मोड में रखा जाय। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में इमरजेंसी वार्ड 24x7 पूरी क्षमता के साथ सक्रिय रहेंगे। सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, एंटी–स्नेक वेनम, आईवी फ्लूइड्स और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाए।

  राज्य की सभी **एम्बुलेंस सेवाओं** (102 एवं अन्य) को पूरी तरह हाई अलर्ट मोड में रखा जाए। सभी एम्बुलेंस में आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण, फर्स्ट–एड किट और पर्याप्त ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर एम्बुलेंसों को विभिन्न छठ घाटों और भीड़–भाड़ वाले संवेदनशील चौराहों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया जाए, ताकि रिस्पांस टाइम (Response Time) न्यूनतम हो। 2639(2) 5/11/26

- <u>बर्न वार्ड एवं क्रिटिकल केयर की तैयारी</u> :– पटाखों एवं आतिशबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए सभी अस्पतालों में विशेष बर्न वार्ड को आरक्षित रखा जाय तथा साथ ही सभी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। आपात स्थिति के लिए वेंटिलेटर, क्रिटिकल केयर बेड और ब्लड बैंकों में सभी ग्रुप के रक्त की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित कर ली जाए।

- <u>छठ घाटों पर चिकित्सा शिविर (Medical Camp) की स्थापना</u> :– सिविल सर्जन स्थानीय प्रशासन के सहयोग/समन्वय से सभी प्रमुख और संवेदनशील छठ घाटों पर चिकित्सा शिविर (Medical Camp) स्थापित करेंगे। इन शिविरों में आवश्यक दवाओं के साथ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की 24x7 पालीवार (shiftwise) तैनाती सुनिश्चित करेंगे।

- <u>रोस्टर के अनुसार अनिवार्य उपस्थिति</u> :– इस त्योहार की अवधि के दौरान सभी चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस चालकों का ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपस्थिति अनिवार्य रूप से चिन्हित की जाए। अवकाश स्वीकृति के संबंध में विभागीय पत्रांक–2638(2), दिनांक–05.11.2026 द्वारा दिशा–निर्देश संसूचित किया गया है। ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति अथवा लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा तथा सबधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

  प्रत्येक संस्थान में चिकित्सकों एवं कर्मियों का ड्यूटी रोस्टर तैयार कर आपातकालीन कक्ष एवं सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाए। रोस्टर में ऑन कॉल विशेषज्ञों (शल्य, अस्थि, नेत्र, मूर्च्छक, मेडिसिन, शिशु, स्त्री एवं प्रसूति, नाक–कान–गला) के नाम एवं मोबाइल नंबर अंकित हों। आकस्मिक स्थिति में ऑन कॉल विशेषज्ञ बुलावे पर अविलंब उपस्थित होंगे।

- <u>ट्रॉमा सेन्टर</u> :– राज्य में ट्रॉमा सेन्टर के रूप में चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में विभाग स्तर से पूर्व में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

- <u>खाद्य संरक्षा व्यवस्था</u> :– इस दौरान विशेष रूप से नियमित छापामारी एवं निरीक्षण कराया जाय ताकि मिलावटी एवं नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री न हो सके। खाद्य संरक्षा पदाधिकारियों द्वारा मिठाई, खोया, छेना, घी एवं खाद्य तेल की दुकानों एवं निर्माण इकाईयों से नमूना संग्रहण का विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।

- <u>अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखना</u> :– अस्पताल परिसर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशामक यंत्रों की वैधता एवं क्रियाशीलता, फायर अलार्म तथा निकास मार्गों की जाँच कर ली जाए। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर भंडार एवं अस्पताल परिसर या उसके आस–पास दीया, मोमबत्ती एवं पटाखों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।

- <u>नियंत्रण कक्ष की स्थापना</u> :– प्रत्येक जिले में सिविल सर्जन कार्यालय में 24×7 स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष क्रियाशील किया जाए एवं उक्त हेतु एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाए तथा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर का व्यापक प्रचार किया जाए।

  राज्य स्तर पर भी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में नियंत्रण कक्ष (दूरभाष संख्या–104) कार्यरत रहेगा। सभी जिलों से दैनिक खैरियत प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्राप्त किया जाएगा तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जायेगा।

2639(2)
5/11/26

3. अनुरोध है कि आगामी दीपावली एवं छठ महापर्व के दौरान निर्बाद्ध स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने तथा आपात स्थिति से निपटने हेतु संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था को अलर्ट मोड में रखते हुए उक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(कुमार रवि)
सचिव

ज्ञापांक–2/टी–03/2025– 2639(2) पटना, दिनांक 5/11/2026

प्रतिलिपिः कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना/सभी संबंधित अपर निदेशक (मुख्यालय में पदस्थापित)/सभी प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वा० एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार/सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/राजकीय तिब्बी महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना/राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/निदेशक, आई०जी०आई०एम०एस०, शेखपुरा, पटना/लोकनायक जय प्रकाशनारायण हड्डी अस्पताल, राजबंशीनगर, पटना/आई०जी०आई०सी०, पटना/न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/राजेन्द्रनगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना/मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर/फिल्ड डिमोन्सट्रेशन सेन्टर, राजगीर/यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा एवं पटना/लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/बिहार रक्त अधिकोष, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/बिहार रक्त अधिकोष, जयप्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल/ सदर अस्पताल/गुरूगोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना सिटी, पटना/ संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना/लेडि एल्गिन जनाना अस्पताल, गया/एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल, बिहार/स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मियों के सभी नियंत्री पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

5/11/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी।